

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/159/2018

अपीलार्थी
श्री नरपाल यादव
एडवोकेट
न्यायालय परिसर बहरोड

बनाम


प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 09.10.18

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
निर्णय

दिनांक: 24.10.18

1. उभयपक्ष उपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 20.08.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में विविध दिनाकों में प्रस्तुत प्रा0पत्रों पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराने बाबत प्रत्यर्थी से सूचना की वांछा की गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा नियत समय गुजरने के बाद भी प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना-पत्र दिनांक: 24.09.18 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है एवं आवेदन-पत्र में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांक: लोक सूचना/2018/1049-50 दिनांक: 20.10.18 के माध्यम से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी की ओर से प्रेषित अपीलोत्तर का परीक्षण किया।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील प्रार्थना-पत्र दिनांक: 24.09.18 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांक: 20.08.18 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी अस्पष्ट है। विविध सूचनाओं को खोजकर उपलब्ध कराने की प्रत्यर्थी विभाग से चेष्टा की गई है जो उक्त अधिनियम अंतर्गत कवर नहीं होती है।
9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित प्रतीत होता है। प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो वांछित जानकारी के संबंध में क्रमबद्ध व सुस्पष्ट विवरण अंकित कर लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।



(ओ. पी. जैन्)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)